

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**  
पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०एस० )

चाद सं० : 521-सन 2022

अनवान :-

1. ओमप्रकाश पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर ।
2. लादूराम पुत्र मामराज जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर ।

वादी

**बनाम**

1. मदनलाल पुत्र भूराराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।
2. सोहनलाल पुत्र भूराराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।
3. कमला पत्नी बलराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।
4. विनोद पुत्र बलराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।
5. रूधवीर पुत्र हरिसिंह जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।
6. सरस्वती पुत्री गिरधारी जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।
7. रामकुमार पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।
8. मोहनी पुत्री सुरजाराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।
9. देवीलाल पुत्र मामराज जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।
10. कृष्ण कुमार पुत्र चन्दुराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।
11. जगदीश पुत्र चन्दुराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।
12. विजेन्द्र प्रसाद पुत्र बलवीर जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।
13. सुरेन्द्र पुत्र चन्दुराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88**

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी  
पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 12/07/2022


सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 6 बरानी के खाता संख्या 479/456 की कुल 12.7630हैक व खाता संख्या 482/469 की कुल 14.7870हैक एव खाता संख्या 481/470 की कुल 1.8840हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के नाम से दर्ज है ।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादीगण एव प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है वादीगण एव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 ने परिवारिक समझौता किया जाकर भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है वादीगण एव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नहीं है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है ।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 को कई मर्तबा कहा की बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग अलग कायम करवा लेवे तो कुछ दिनों तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है ।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे ।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के नाम से सयुक्त खाते में दर्ज है वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 जो एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने परिवारिक समझौता किया जाकर वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया गया था जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादीगण एव प्रतिवादी संख्या

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ़)

1 ता 13 के बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 14 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 479/456 की कुल 12.7830हैक् व खाता संख्या 482/469 की कुल 14.7870हैक् एव खाता संख्या 481/470 की कुल 1.8840हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादीगण एव प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है वादीगण एव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 ने परिवारिक समझौता किया जाकर भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है वादीगण एव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नहीं है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 479/456 की कुल 12.7830हैक् व खाता संख्या 482/469 की कुल 14.7870हैक् एव खाता संख्या 481/470 की कुल 1.8840हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के नाम से दर्ज है।

वादीगण का कथन है कि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के नाम से सयुक्त खाते में दर्ज है वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 जो एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने परिवारिक समझौता किया जाकर वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया गया था जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के द्वारा स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादीगण साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 6 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 482/469 की कुल 14.7870 है० भूमि व खाता संख्या 479/456 की कुल 12.7850 व खाता संख्या 481/470 की कुल 1.8840 है० भूमि इस प्रकार से दर्ज की जावे कि ५० नं० 308/410 (204) के किला नं. 1 की 0.253 है०, 9 ता 12 प्रत्येक की 0.253 है०, 19 ता 22 प्रत्येक की 0.253 है०, ५० नं० 308/411 (229) किला नं. 1 ता 2 प्रत्येक की 0.253 है० कुल तादादी 2.783 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के ५० हि० ५० दर्ज की जावे तथा प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्से पर स्थगन रखा जावे तथा 1/4

हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 के ब० हि० ब० दर्ज की जावे तथा 1/4 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 5 को खातेदार काश्तकार दर्ज की जावे व प० न० 310/410 (202) के किला नं. 11, 20, 21 प्रत्येक की 0.253 है० प० न० 309/410 (203) के किला नं. 15/1 की 0.025 गै० मु० रास्ता, 15/2 की 0.137 है०, 16/1 की 0.025 है० गै० मु० रास्ता, 16/2 की 0.228 है०, 25/1 की 0.025 है० गै० मु० रास्ता, 25/2 की 0.228 है०, 309/411 (230) के किला नं. 5/1 की 0.025 है० गै० मु० रास्ता, 5/2 की 0.228 है०, कुल 1.681 है० भूमि का प्रतिवादी संख्या 8 को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे व प० न० 308/409 (191) के किला नं. 21/1 की 0.088 है०, 21/1 की 0.013 है० गै० मु० रास्ता, 21/2 की 0.025 है०, 22 की 0.227 है०, 22/1 की 0.013 है० गै० मु० रास्ता, 23/1 की 0.034 है०, प० न० 308/410 (204) किला नं. 2 की 0.253 है०, 3 की 0.034 है०, 8 की 0.034 है०, 13 ता 18, 23, 25 प्रत्येक की 0.253 है० प० न० 308/411 (229) किला नं. 3 ता 5 प्रत्येक की 0.253 है० कुल तादादी 3.757 है० भूमि वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 7 ता 8 के ब० हि० ब० दर्ज की जावे तथा प० न० 306/402 (53) के किला नं. 19/1 की 0.144 है०, 20/1 की 0.144 है०, प० न० 305/402 (54) किला नं. 16/1 की 0.025 है० गै० मु० रास्ता, 16/2 की 0.228 है०, 25/1 की 0.025 है० गै० मु० रास्ता, 25/2 की 0.228 है०, प० न० 305/403 (77) के किला नं. 5/1 की 0.025 है० गै० मु० रास्ता, 5/2 की 0.228 है०, 6/1 की 0.025 है० गै० मु० रास्ता, 6/2 की 0.228 है० प० न० 308/409 (191) किला नं. 14/1 की 0.063 है०, 15 की 0.240 है०, 16 की 0.253 है०, 17 की 0.253 है० 18/1 की 0.126 है०, 23 की 0.219 है०, 24 की 0.253 है०, 25 की 0.253 है० प० न० 309/409 (192) के किला नं. 9 की 0.253 है०, 10 की 0.190 है०, 11 की 0.253 है०, 12 की 0.253 है०, 19 की 0.253 है०, 20 की 0.253 है० 21 की 0.253 है०, 22 की 0.253 है० प० न० 308/410 (204) के किला नं. 3/2 की 0.219 है०, 4 की 0.253 है०, 5 की 0.253 है०, 6 की 0.253 है०, 7 की 0.253 है० 8/1 की 0.219 है० प० न० 309/410 (203) के किला नं. 1 की 0.123 है०, 2 की 0.124 है० कुल तादादी 6.618 है० बारानी भूमि प्रतिवादी संख्या 9 को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे व प० न० 309/410 (203) किला नं. 1 की 0.130 है०, 1 की 0.129 है०, 3 की 0.240 है० व 3 की 0.013 है० गै० मु० रास्ता 4 की 0.240 है० व 4 की 0.013 है० गै० मु० रास्ता 5/2 की 0.214 है०, 5/2 की 0.013 है० गै० मु० रास्ता, 5/1 की 0.026 है० गै० मु० रास्ता, 7 ता 10 की 1.012 है०, 11 ता 14 की 1.012 है०, 15/3 की 0.091 है०, 17 ता 24 प्रत्येक की 0.253 है० प० न० 309/411 (230) के किला नं. 1 ता 4 की 1.012 है० कुल 6.168 है० बारानी भूमि का वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे प० न० 307/402 (52) किला नं. 18 की 0.253 है०, 21 ता 23 की 0.759 है० प० न० 307/403 (79) के किला नं. 1 ता 3 की 0.759 है०, 8 ता 10 की 0.759 है० प० न० 306/402 (53) 19/2 की 0.109 है०, 20/2 की 0.109 है० 21 ता 24 की 1.012 है०, 25 की 0.253 है० प० न० 306/403 (78) के किला नं. 1 ता 4 की 1.012 है०, 5 की 0.253 है०, 6 की 0.253 है० 7 ता 10 की 1.012 है० कुल तादादी 6.543 है० भूमि का प्रतिवादी संख्या 10 ता 13 को ब० हि० ब० का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 12/07/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपरखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
 नाहर (हनुमानगढ़)  
 नाहर (हनुमानगढ़)

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. ओमप्रकाश पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर ।
2. लादूराम पुत्र मामराज जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर ।

वादी

#### बनाम


1. मदनलाल पुत्र भूराराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर ।
2. सोहनलाल पुत्र भूराराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर ।
3. कमला पत्नी बलराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर ।
4. विनोद पुत्र बलराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर ।
5. रूघवीर पुत्र हरिसिंह जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर ।
6. सरस्वती पुत्री गिरधारी जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर ।
7. रामकुमार पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर ।
8. मोहनी पुत्री सुरजाराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर ।
9. देवीलाल पुत्र मामराज जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर ।
10. कृष्ण कुमार पुत्र चन्दुराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर ।
11. जगदीश पुत्र चन्दुराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर ।
12. विजेन्द्र प्रसाद पुत्र बलवीर जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर ।
13. सुरेन्द्र पुत्र चन्दुराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर ।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़ ।

प्रतिवादीगण

#### वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

#### राजस्व वाद संख्या 923 सन 2022 निर्णय दिनांक-12/07/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेशेकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सद्युतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 6 बरानी तहसील नोहर के खाता संख्या 482/469 की कुल 14.7870 है 0 भूमि व खाता संख्या 479/456 की कुल 12.7650 व खाता संख्या 481/470 की कुल 1.8840 है 0 भूमि इस प्रकार से दर्ज की जावे कि प 0 नं 308/410 (204) के किला नं. 1 की 0.253 है 0, 9 ता 12 प्रत्येक की 0.253 है 0, 19 ता 22 प्रत्येक की 0.253 है 0, प 0 नं 308/411 (229) किला नं. 1 ता 2 प्रत्येक की 0.253 है 0 कुल तादादी 2.783 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के ब 0 हि 0 दर्ज की जावे तथा प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्से पर स्थगन रखा जावे तथा 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 के ब 0 हि 0 दर्ज की जावे तथा 1/4 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 5 को खातेदार काश्तकार दर्ज की जावे व प 0 नं 310/410 (202) के किला नं. 11, 20, 21 प्रत्येक की 0.253 है 0 प 0 नं 309/410 (203) के किला नं. 15/1 की 0.025 है 0 मु 0 रास्ता, 15/2 की 0.137 है 0, 16/1 की 0.025 है 0 गै 0 मु 0 रास्ता, 16/2 की 0.228 है 0, 25/1 की 0.025 है 0 गै 0 मु 0 रास्ता, 25/2 की 0.228 है 0, 309/411 (230) के किला नं. 5/1 की 0.025 है 0 गै 0 मु 0 रास्ता, 5/2 की 0.228 है 0, कुल 1.681 है 0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 6 को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे व प 0 नं 308/409 (191) के किला नं. 21/1 की 0.088 है 0, 21/1 की 0.013 है 0 गै 0 मु 0 रास्ता, 21/2 की 0.025 है 0, 22 की 0.227 है 0, 22/1 की 0.013 है 0 गै 0 मु 0 रास्ता, 23/1 की 0.034 है 0, प 0 नं 308/410 (204) किला नं. 2 की 0.253 है 0, 3 की 0.034 है 0, 8 की 0.034 है 0, 13 ता 18, 23, 25 प्रत्येक की 0.253 है 0 प 0 नं 308/411 (229) किला नं. 3 ता 5 प्रत्येक की 0.253 है 0 कुल तादादी 3.757 है 0 भूमि वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 7 ता 8 के ब 0 हि 0 दर्ज की जावे तथा प 0 नं 306/402 (53) के किला नं. 19/1 की 0.144 है 0, 20/1 की 0.144 है 0, प 0 नं 305/402 (54) किला नं.

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ़)

16/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, 16/2 की 0.228 है0, 25/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, 25/2 की 0.228 है0, प0 नं0 305/403 (77) के किला नं. 5/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, 5/2 की 0.228 है0, 6/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, 6/2 की 0.228 है0 प0 नं0 308/409 (191) किला नं. 14/1 की 0.083 है0, 15 की 0.240 है0, 16 की 0.253 है0, 17 की 0.253 है0 18/1 की 0.126 है0, 23 की 0.219 है0, 24 की 0.253 है0, 25 की 0.253 है0 प0 नं0 309/409 (192) के किला नं. 9 की 0.253 है0, 10 की 0.190 है0, 11 की 0.253 है0, 12 की 0.253 है0, 19 की 0.253 है0, 20 की 0.253 है0 21 की 0.253 है0, 22 की 0.253 है0 प0 नं0 308/410 (204) के किला नं. 3/2 की 0.219 है0, 4 की 0.253 है0, 5 की 0.253 है0, 6 की 0.253 है0, 7 की 0.253 है0 8/1 की 0.219 है0 प0 नं0 309/410 (203) के किला नं. 1 की 0.123 है0, 2 की 0.124 है0 कुल तादादी 6.618 है0 बारांनी भूमि प्रतिवादी संख्या 9 को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे व प0 नं0 309/410 (203) किला नं. 1 की 0.130 है0, 1 की 0.129 है0, 3 की 0.240 है0 व 3 की 0.013 है0 गै0 मु0 रास्ता 4 की 0.240 है0 व 4 की 0.013 है0 गै0 मु0 रास्ता 5/2 की 0.214 है0, 5/2 की 0.013 है0 गै0 मु0 रास्ता, 5/1 की 0.026 है0 गै0 मु0 रास्ता, 7 ता 10 की 1.012 है0, 11 ता 14 की 1.012 है0, 15/3 की 0.091 है0, 17 ता 24 प्रत्येक की 0.253 है0 प0 नं0 309/411 (230) के किला नं. 1 ता 4 की 1.012 है0 कुल 6.168 है0 बारांनी भूमि का वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे प0 नं0 307/402 (52) किला नं. 18 की 0.253 है0, 21 ता 23 की 0.759 है0 प0 नं0 307/403 (79) के किला नं. 1 ता 3 की 0.759 है0, 8 ता 10 की 0.759 है0 प0 नं0 306/402 (53) 19/2 की 0.109 है0, 20/2 की 0.109 है0 21 ता 24 की 1.012 है0. 25 की 0.253 है0 प0 नं0 306/403 (78) के किला नं. 1 ता 4 की 1.012 है0, 5 की 0.253 है0, 6 की 0.253 है0 7 ता 10 की 1.012 है0 कुल तादादी 6.543 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 10 ता 13 को ब0 हि0 ब0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/07/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
 नौहर (हनुमानगढ़)  
 नौहर (हनुमानगढ़)